रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1170] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2015/ज्येष्ठ 14, 1937
No. 1170] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2015 /JYAISTHA 14, 1937

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

का. आ.1471(अ).- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 05.07.2006 की अधिसूचना सं. का. आ. 998(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "हेल्पेज इंडिया, सी-14 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016" द्वारा "हेल्पेज इंडिया के कार्य के लिए सामान्य कार्पस निधि बनाने" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2006-07 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 16 पर विनिर्दिष्ट किया था, और जिसे बाद में दिनांक 25.06.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 2048(अ) के तहत निर्धारण वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया और जिसे दिनांक 16.03.2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 480 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक दिनांक 27.04.2011 के का. आ. 879 (अ) द्वारा कार्पस निधि के रूप में 20 करोड रुपए को बढ़ाकर 30 करोड़ रूपए तक बढ़ाया गया था और जबकि दिनांक 16.03.2012 के का. आ. 480(अ) द्वारा कार्पस निधि के रूप में 30 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 50 करोड़ रूपए तक बढ़ाया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 9 वर्षों से अधिक तक चलने की संभावना है;

और जबकि परियोजना लागत के कार्पस निधि के रूप में 50 करोड रुपए से बढ़कर कार्पस निधि के रूप में 100.00 करोड़ रुपए होने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना या स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए परियोजना लागत को कार्पस निधि के रूप में 50 करोड रुपए से कार्पस निधि के रूप में 100.00 करोड़ रुपए तक संशोधित करने के लिए सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा (क) 'हेल्पेज इंडिया, सी-14 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016'' द्वारा चलाई जा रही ''हेल्पेज इंडिया के कार्य के लिए सामान्य कार्पस निधि बनाने'' की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है; और

(ख) दिनांक 05.07.2006 की उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 998(अ) को निम्नलिखित आशय के लिए और संशोधित करती है, नामत:-

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. 16, कालम (4) के सामने सारणी में, "कॉपर्स निधि के रूप में 50 करोड़ रूपए'' अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए ''कार्पस निधि के रूप में 100.00 करोड़ रुपए'' अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।'

[सं. 125 /2015/फा. सं. वी -27015/1/2015 एस ओ(रा. स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2015

S.O. 1471 (E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.998(E) dated the 5th July, 2006, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 16, "Building a general corpus fund for Helpage India's work" by 'Helpage India', C-14, Qutab Institutional Area, New Delhi - 110016, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2006-2007; which was extended further vide notification number S.O.2048(E) 25th June, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was further extended vide S.O. No. 480(E) dated 16.3.2012 for a period of further three years commencing from financial year 2012-13.

And whereas by notification number S.O. 879(E) dated 27.04.2011 the estimated cost was enhanced from Rs.20 crore as corpus fund to Rs. 30 crore as corpus fund and the project cost was again enhanced from Rs. 30 crore as corpus fund to Rs. 50 crore as corpus fund vide S.O. no. 480(E) dated 16.3.2012.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs. 50 crore as corpus fund to Rs. 100.00 crore as corpus fund;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and amending the project cost from Rs. 50 crore as corpus fund to Rs. 100.00 crore as corpus fund;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies (a) the scheme or project "Building a general corpus fund for Helpage India's work" which is being carried out by 'Helpage India', C-14, Qutab Institutional Area, New Delhi – 110016 for a further period of three years commencing with financial year 2015-16, i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18 and;

(b) further amends the said notification number S.O. 998(E) dated the 5th July, 2006, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 16, in column (4) maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC of Income Tax Act, 1961, for the letters, figures and word "Rs. 50 crore as corpus fund", the letters, figures and word "Rs. 100 crore as corpus fund" shall be substituted.

[No. 125/2015 / F.No.V.27015/1/2015-SO(NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

का. आ.1472(अ).- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.04.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 743(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "वेदान्ता फाउन्डेशन, निरंजन भवन के सामने, 'ई' रोड का कोना, मरीन ड्राइव, मुंबई-400002" द्वारा "वेदान्ता सुपर-30" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 942.26 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 6 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "वेदान्ता फाउन्डेशन, निरंजन भवन के सामने, 'ई' रोड का कोना, मरीन ड्राइव, मुंबई-400002" द्वारा चलाई जा रही "वेदान्ता सुपर-30" की परियोजना अथवा स्कीम को 942.26 लाख रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ;

[सं.126/2015/फा. सं. वी -27015/1/2015 एस ओ(रा. स.)]

मक्खन लाल मीना,उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2015

S.O.1472 (E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 743(E) dated 11.4.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 6, "Vedanta Super-30" by "Vedanta Foundation, Opposite Niranjan Building, Corner of 'E' Road, Marine Drive, Mumbai–400 002", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 942.26 lakh for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Vedanta Super-30", which is being carried out by "Vedanta Foundation, Opposite Niranjan Building, Corner of 'E' Road, Marine Drive, Mumbai – 400 002", without any change in the approved cost of Rs. 942.26 lakh, for a further period of three years commencing with financial year 2015-16 i.e 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 126/2015 / F.No.V- 27015/1/2015-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

का. आ.1473(अ).- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.08.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 1860(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''सेठ ताराचंद रामनाथ चेरीटेबल आयुर्वेदिक अस्पताल ट्रस्ट, 580/2 रास्ता पेठ, पुणे-411011 द्वारा ''अवसंरचना का विस्तार और सेवाओं में सुधार'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 5.30 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 22.90 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 3 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "सेठ ताराचंद रामनाथ चेरीटेबल आयुर्वेदिक अस्पताल ट्रस्ट, 580/2 रास्ता पेठ, पुणे-411011 द्वारा चलाई जा रही "अवसंरचना का विस्तार और सेवाओं में सुधार'' की परियोजना अथवा स्कीम को 5.30 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 22.90 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है। चूँकि वित्तीय वर्ष 2014-15 पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग के तहत कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

[सं0127/2014/फा. सं.वी -27015/1/2015 एस ओ(रा. स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2015

S.O. 1473(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O No.1860 (E) dated 11.08.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 3, "Expansion of infrastructure and improvement in services" by "Seth Tarachand Ramnath Charitable Ayurvedic Hospital Trust, 580/2, Rasta Peth, Pune- 411011", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 22.90 crore including corpus fund of Rs. 5.30 crore for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Expansion of infrastructure and improvement in services", which is being carried out by "Seth Tarachand Ramnath Charitable Ayurvedic Hospital Trust, 580/2, Rasta Peth, Pune -411011", without any change in the approved cost of Rs. 22.90 crore including corpus fund of Rs. 5.30 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15 ie. financial year 2014-15, 2015-16 and 2016-17. Since the financial year 2014-15 has already lapsed, no certificate under section 35AC of the IT Act, 1961 would be issued for the financial years 2014-15.

[No. 127/2014 / F. No. 27015/1/2015-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

का. आ.1474(अ).- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.08.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 1860(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''जामिया इस्लामिया इशातुल उलमा, अम्लीबारी मोल्गी रोड, ए/पी अक्कालकुवा, जिला नंदूरबार, महाराष्ट्र'' द्वारा ''व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में वर्तमान गतिविधियों के विस्तार और अनुरक्षण और कन्या होस्टल व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए विस्तार परियोजना'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्पस निधि के रूप में 2 करोड़ रुपए सहित 14.72 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 3 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "जामिया इस्लामिया इशातुल उलमा, अम्लीबारी मोल्गी रोड, ए/पी अक्कालकुवा, जिला नंदूरबार, महाराष्ट्र'' द्वारा चलाई जा रही "व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में वर्तमान गतिविधियों के विस्तार और अनुरक्षण और कन्या होस्टल व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए विस्तार परियोजना'' की परियोजना अथवा स्कीम को कार्पस निधि के रूप में 2 करोड़ रुपए सहित 14.72 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है। चूँकि वित्तीय वर्ष 2014-15 पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग के तहत कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा

[सं0128/2014/फा. सं. वी -27015/1/2015 एस ओ(रा. स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2015

S.O. 1474(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O No.1860 (E) dated 11.08.2011 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 3, "Extension project for the expansion and maintenance of present activities in vocational courses and girls hostel vocational training course" by "Jamia Islamia Ishaatul Uloom, Amlibari Molgi road, A/P Akkalkuwa, District Nandurbar, Maharashtra-425 415", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 14.72 crore including 2 crore as a corpus fund for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Extension project for the expansion and maintenance of present activities in vocational courses and girls hostel vocational training course", which is being carried out by "Jamia Islamia Ishaatul Uloom, Amlibari Molgi Road, A/P Akkalkuwa, District Nandurbar, Maharashtra 425 415", without any change in the approved cost of Rs. 14.72 crore including 2 crore as a corpus fund, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15 i.e. financial year 2014-15, 2015-16 and 2016-17. Since the financial year 2014-15 has already lapsed**,** no certificate under Section 35AC of the IT Act, 1961 would be issued for the financial years 2014-15.

[No. 128/2014 / F.No.V- 27015/1/2015-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

का. आ.1475(अ).- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12.03.1998 की अधिसूचना सं. का. आ. 198(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "सवाली" (मंदबुद्धि और प्रमस्तिष्क बच्चों का संघ), अलंकार प्लाट संख्या-14, क्रम संख्या 133, कोठरूड, पुणे-411029" द्वारा कोठरूड पुणे, महाराष्ट्र में प्रमस्तिष्क बच्चों और शिक्षा संस्थागत देखभाल, प्रशिक्षण और व्यावसायिक मार्गदर्शन के माध्यम से प्रौढ़ों के सामाजिक-आर्थिक संवर्धन और उपस्कर की खरीद" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1998-99 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 3 पर अधिसूचित किया था; जिसे दिनांक 21 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना से सां. आ 857 (अ) द्वारानिर्धारण वर्ष 2001-2002 के साथ प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे दिनांक 20 मई, 2004 की अधिसूचना सं. सां. आ. 607 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2003-2004 के साथ प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे दिनांक 29 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 479 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 के साथ प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे दिनांक 21 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं. सां. आ. 249 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 के साथ प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे दिनांक 12.3.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 665 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के साथ समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना संख्या का. आ. 665(अ) द्वारा परियोजना लागत को 71.21 लाख रूपये से 171.21 रूपये तक बढ़ाने की सिफारिश की है;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के अट्ठारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "सवाली" (मंदबुद्धि और प्रमस्तिष्क बच्चों का संघ), अलंकार प्लाट संख्या-14, क्रम संख्या 133, कोठरूड, पुणे-411029" द्वारा चलाई जा रही कोठरूड पुणे, महाराष्ट्र में प्रमस्तिष्क बच्चों और शिक्षा संस्थागत देखभाल, प्रशिक्षण और व्यावसायिक मार्गदर्शन के माध्यम से प्रौढ़ों के सामाजिक-आर्थिक संवर्धन और उपस्कर की खरीद" की परियोजना अथवा स्कीम को 171.21 लाख रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ;

[सं. 129/2015/फा. सं. वी -27015/1/2015 एस ओ(रा. स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2015

S.O.1475 (E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.198(E) dated the 12th March, 1998, issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 3, "Purchase of equipments and running of socio-economic promotion of cerebral palsied children and adults through education, institutional care, training and vocational guidance at Kothrud, Pune, Maharashtra" by "Savali" (Association for Mentally Retarded and Cerebral Palsy Children), Alankar Plot No.14, S.No.133, Kothrud, Pune – 411029", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999, which was extended further vide notification number S.O.857(E) dated the 21st September, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002, which was extended further vide notification number S.O.607(E) dated the 20th May, 2004 for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004, which was extended further vide notification number S.O.479(E) dated the 29th March, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007; which was extended further vide notification number S.O. 249(E) dated 21st January, 2009 for a period of

three years beginning with financial year 2009-10 and which was further extended vide S.O. No. 665(E) dated 12.3.2013 for a period of three years ending with financial year 2014-15.

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for enhancing the project cost from Rs. 71.21 lakh to Rs.171.21 lakh vide S.O. No. 665(E) dated 12.3.2013;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eighteen years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Purchase of equipments and running of socio-economic promotion of cerebral palsied children and adults through education, institutional care, training and vocational guidance at Kothrud, Pune, Maharashtra" being carried out by "Savali' (Association for Mentally Retarded and Cerebral Palsy Children), Alankar Plot No.14, S.No.133, Kothrud, Pune – 411029", without any change in the approved cost of Rs.171.21 lakh for a further period of three years commencing with the financial year 2015-16, i.e, financial year 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 129 /2015/ F.No.V. 27015/1/2015-SO(NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

का. आ.1476(अ).- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 14.07.1994 की अधिसूचना सं. का. आ. 521 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "सीआरवाई (बाल राहत और आप), डीडीए स्लम विंग बारात घर, बापू पार्क, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली'' द्वारा "संपूर्ण भारत में क्राई (सीआरवाई) समर्थित विकास परियोजना'' की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1997-98 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 24 पर विनिर्दिष्ट किया था; और जिसे बाद में दिनांक 19 मई ,1997 की अधिसूचना सं. का. आ. 388 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2000-01 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 5 जुलाई 2000 की अधिसूचना सं. का. आ. 634 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2001-02 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 13 जून, 2003 की अधिसूचना सं. का. आ. 692 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 4 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का. आ. 1415 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 6 अगस्त, 2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 2049 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 14 मई, 2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 1075 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 5 जुलाई, 2000 की अधिसूचना सं. का. आ. 634 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 1650.00 लाख रू. से 2773.00 लाख रू. तक बढ़ा दिया गया था; और जिसे दिनांक 13.जून, 2003 की अधिसूचना सं. का. आ. 692 (अ) द्वारा 2773.00 लाख रू. से 5373.00 लाख रू. तक और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे दिनांक 3 फरवरी, 2006 की अधिसूचना सं. का. आ. 146 (अ) द्वारा 5373.00 लाख रू. से 5873.00 लाख रू. तक और आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे दिनांक 4 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का. आ. 1415 (अ) द्वारा 7873.00 लाख रू. से 120.85 करोड़ रू. तक और आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे दिनांक 6 अगस्त, 2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 2049 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 120.85 करोड़ रू. से 188.39 करोड़ रू. तक और आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 662 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 188.38 करोड़ रू. से 255.14 करोड़ रू. तक और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 21 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा क्राई (सीआरवाई) (बाल राहत और आय), डीडीए स्लम विंग बारात घर, बापू पार्क, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली" द्वारा चलाई जा रही "संपूर्ण भारत में क्राई (सीआरवाई) समर्थित विकास परियोजना" की परियोजना अथवा स्कीम को 255.14 करोड़ रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 130/2015 /फा. सं. वी -27015/3/2015 एस ओ(एन. सी)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2015

S.O. 1476(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.521(E) dated the 14th July, 1994, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 24, "CRY Supported Development project all over India", by "CRY (Child Relief and you), DDA Slum Wing Barat Ghar, Bapu Park, Kotla Mubarakpur, New Delhi", as an eligible project or scheme for a period of three years ending with assessment year 1997, which was extended further vide notification number S.O.388(E) dated the 19th May, 1997 for a period of three years ending with assessment year 2000-01, which was extended further vide notification number S.O.634(E) dated the 5th July, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002, which was extended further vide notification number S.O.692(E) dated the 13th June, 2003 for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005, which was extended further vide notification number S.O.1415(E) dated the 4th September, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007, which was extended further vide notification number S.O. 2049 (E) dated 6th August, 2009 for a period of three years beginning with the financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. 1075 (E) dated 14th May, 2012 for a period of three years beginning with the financial year 2012-13;

And whereas by notification number S.O.634(E) dated the 5th July, 2000 the estimated cost was enhanced from Rs.1650.00 lakh to Rs. 2773.00 lakh, which was further enhanced vide notification number S.O. 692(E) dated the 13th June, 2003 from Rs.2773.00 lakh to Rs. 5373.00 lakh, which was further enhanced vide notification number S.O.146(E) 3rd February, 2006 from Rs. 5373.00 lakh to Rs. 5873.00 lakh and which was further enhanced vide notification number S.O.1415(E) dated the 4th September, 2006 from Rs. 5873.00 lakh to Rs.120.85 crore, vide notification number S.O. 2049 (E) dated 6th August, 2009, the estimated cost was further enhanced from Rs. 120.85 crore to Rs. 188.39 crore and the estimated cost was further enhance from Rs. 188.39 crore to Rs. 255.14 crore vide SO No. 662(E) 12.3.2013.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twenty one years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "CRY Supported Development project all over India", which is being carried out by "CRY (Child Relief and you), DDA Slum Wing Barat Ghar, Bapu Park, Kotla Mubarakpur, New Delhi", without any change in the approved cost of Rs. 255.14 crore for a further period of three years commencing with the financial year 2015-16, i.e, financial year 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 130 /2015/ F. No. V. 27015/1/2015-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

का. आ.1477(अ).- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (।) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.5.1999 की अधिसूचना सं. का. आ. 308(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''लोक कल्याण समिति, 11-ए विष्णु दिगम्बर मार्ग- राउज एवेन्यू, नई दिल्ली-110002'' द्वारा '' राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में आँखों की देखभाल का कार्यक्रम'' की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2000-01 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 3 पर विनिर्दिष्ट किया था, और जिसे बाद में दिनांक 13.06.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 687(अ) के तहत निर्धारण वर्ष 2003-04 को प्रारंभ होने वाली दो वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया ; जिसे दिनांक 02.02.2005, की अधिसूचना सं. का. आ. 136 (अ0) द्वारा वित्तीय निर्धारण वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे दिनांक 16 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 1148 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 17.05.2010 की अधिसूचना सं. का. आ.1139 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि अर्थात वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3126 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि अर्थात् वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि परियोजना लागत को 10.11 करोड़ रुपए से 21.00 करोड़ रुपए तक संशोधित किए जाने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना या स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए परियोजना लागत को 10.11 करोड़ रूपये से 21.00 करोड़ रूपये तक संशोधित करने के लिए सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा दिनांक 11 मई, 1999 की उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 308 (अ) को निम्नलिखित आशय के लिए और संशोधित करती है, नामत:-

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. 3, कालम (4) के सामने सारणी में, '10.11 करोड़ रुपये'' अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए ''21.00 करोड़ रुपये'' अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।'

[सं. 131/2015/फा. सं. वी -27015/4/2015 एस ओ(रा. स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2015

S.O. 1477 (E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.308(E) dated the 11th May, 1999, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 3, for "Eye care programme in the National Capital Region, Delhi" by "Lok Kalyan Samiti, 11-A, Vishnu Digamber Marg, Rouse Avenue, New Delhi-110002", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001; which was extended further vide notification number S.O.687(E) dated the 13th June, 2003 for a period of two years beginning with assessment year 2003-2004; which was extended further vide notification number S.O.136(E) dated the 2nd February, 2005 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005; which was extended further vide notification number S.O. No. 1148(E) dated 16th July, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2007-08; which was extended further vide S.O. No. 1139(E) dated 17.5.2010 for three years beginning with financial years 2010-11 i.e. 2010-11, 2011-12 & 2012-13 and which was extended further vide S.O. No. 3126(E) dated 17.10.2013 for three years beginning with financial years 2013-14 i.e. 2013-14, 2014-15 & 2015-16.

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs. 10.11 crore to 21.00 crore;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for amending the project cost from Rs 10.11 core to 21.00 crore;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby amends the said notification number S.O.308(E) dated the 11th May, 1999, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 3, in column (4) maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC of Income Tax Act, 1961, for the letters, figures and word "Rs. 10.11 crore", the letters, figures and word "Rs. 21.00 crore" shall be substituted.

[No.131 /2015/ F. No. V. 27015/1/2015-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

का. आ.1478(अ).- जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 13.03.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 737 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने 'कैन सपोर्ट, कनक दुर्गा बस्ती विकास केन्द्र, सेक्टर 12, आर के पुरम, नई दिल्ली - 110022' द्वारा 'दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र(एनसीआर) में कैंसर तथा अन्य सीमित जीवन हालात से झूझ रहे रोगियों एवं उनके परिवारों को घर पर संपूर्ण प्रशामक देखभाल की व्यवस्था' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 19 पर अधिसूचित किया था और जिसे दिनांक 14.05.2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 1082 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, 'कैन सपोर्ट, कनक दुर्गा बस्ती विकास केन्द्र, सेक्टर 12, आर के पुरम, नई दिल्ली - 110022' द्वारा चलाई जा रही 'दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र(एनसीआर) में कैंसर तथा अन्य सीमित जीवन हालात से झूझ रहे रोगियों एवं उनके परिवारों को घर पर संपूर्ण प्रशामक देखभाल की व्यवस्था' की परियोजना को, 4.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 132/2015/ फा. सं. वी.27015/1/2015-एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2015

S.O. 1478 (E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 737(E) dated 13th March, 2009, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 19, "Provision of holistic home based palliative care to patients and their families struggling with cancer and other life limiting conditions in Delhi and the NCR" by "Can Support, Kanak Durga Basti Vikas Kendra, Sector 12, R.K. Puram, New Delhi – 110022", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was further extended vide No. S.O No. 1082(E) dated 14.5.2012 for a period of three years commencing with financial year 2012-13 i.e. 2012-13, 2013-14 & 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project "Provision of holistic home based palliative care to patients and their families struggling with cancer and other life limiting conditions in Delhi and the NCR" which is being carried out by "Can Support, Kanak Durga Basti Vikas Kendra, Sector 12, R.K. Puram, New Delhi – 110022", without any change in the approved cost of Rs. 4.00 crore, for a further period of three years comencing with financial year 2015-2016 i.e. 2015-2016, 2016-17 & 2017-18.

[No. 132 /2015/ F.No.V. 27015/1/2015-SO(NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA ,Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

का. आ.1479(अ).- जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.04.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 743 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने 'परिवार शिक्षा सोसायटी, बोनोग्राम, बखराहत रोड, पोस्ट आफिस रासपुंजा, कोलकाता 700104, पश्चिम बंगाल' द्वारा 'संस्थान के परिचालन व्यय' की परियोजना को, 20 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 48.03 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से, वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 6 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, 'परिवार शिक्षा सोसायटी, बोनोग्राम, बखराहत रोड, पोस्ट आफिस रासपुंजा, कोलकाता 700104, पश्चिम बंगाल' द्वारा चलाई जा रही 'संस्थान के परिचालन व्यय' की परियोजना को, 20 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 48.03 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 133/2015/ फा. सं. वी.27015/1/2015-एस ओ(एन.सी.)

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2015

S.O. 1479(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 743(E) dated 11.4.2011 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 6, "Operational Expenditure of the Institution" by "Parivar Education Society, Bonogram, Bakhrahat Road, P.O. Raspunja, Kolkata – 700 104, West Bengal", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.48.03 crore including a corpus fund of Rs. 20 crore for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Operational Expenditure of the Institution", which is being carried out by "Parivar Education Society, Bonogram, Bakhrahat Road, P.O. Raspunja, Kolkata – 700 104, West Bengal", without any change in the approved cost of Rs. 48.03 crore including a corpus fund of Rs.20 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2015-16 i.e 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 133/2014 / F. No. V. 27015/1/2015-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

का. आ.1480(अ).- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12.07.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1649 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "श्री पंचमहल अनुसूचित जाति शिक्षा ट्रस्ट, अदादरा ता, कलोल जिला, पंचमहल गुजरात" द्वारा "मूक बधिर छात्रों के लिए स्कूल का विस्तार और उसे चलाने" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 1.90 करोड़ रू. की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 13 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "श्री पंचमहल अनुसूचित जाति शिक्षा ट्रस्ट, अदादरा ता, कलोल जिला, पंचमहल गुजरात" द्वारा चलाई जा रही "मूक बधिर छात्रों के लिए स्कूल का विस्तार और उसे चलाने" की परियोजना अथवा स्कीम को 1.90 करोड़ रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2013-14, 2014-15 और 2015-2016 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 समाप्त हो चुके हैं, अत: आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 क ग के तहत, वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

[सं.134 /2015 /फा. सं. वी -27015/1/2015 एस ओ(एन. सी)]

मक्खन लाल मीना,उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2015

S.O.1480 (E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1649(E) dated 12.07.2010 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 13, "Expansion & running the school for deaf & dumb students" by "Shree Panchmahal Anusuchit Jati Education Trust, Adadara Ta, Kalol District, Panchmahal, Gujarat.", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 1.90 crore for a period of three years ending with financial year 2012-13;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Expansion & running the school for deaf & dumb students", which is being carried out by "Shree Panchmahal Anusuchit Jati Education Trust, Adadara Ta, Kalol District, Panchmahal, Gujarat", without any change in the approved cost of Rs. 1.90 crore for a further period of three years commencing with financial year 2013-14 i.e. 2013-14, 2014-15 and 2015-16. Since the financial year 2013-14 and 2014-15 has already lapsed**,** no certificate under section 35AC of the IT Act, 1961 would be issued for the financial years 2013-14 and 2014-15.

[No. 134/2015 / F.No.V. 27015/1/2015-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

का. आ.1481(अ).- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 627 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''अनुपम मिशन ब्रह्माज्योति, योगी जी मार्ग, मोगरी गांव, जिला आनंद, गुजरात'' द्वारा "प्रगनान तीर्थ- सर्वांगी शिक्षण संस्थान'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 3 करोड़ रू. की कॉपर्स निधि सहित 26.62 करोड़ रू. की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 2 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा ''अनुपम मिशन ब्रह्माज्योति, योगी जी मार्ग, मोगरी गांव, जिला आनंद, गुजरात'' द्वारा चलाई जा रही "प्रगनान तीर्थ- सर्वांगी शिक्षण संस्थान'' की परियोजना अथवा स्कीम को 3 करोड़ रूपये की कॉपर्स निधि सहित 26.62 करोड़ रू. की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात, 2015-16, 2016-2017 और 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं.135 /2015 /फा. सं. वी -27015/1/2015 एस ओ(एन. सी)]

मक्खन लाल मीना,उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2015

S.O. 1481 (E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 627(E) dated 12.03.2013 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 2, "Pragnan Tirth – Sarvangi Shikshan Sansthan" by "Anoopam Mission, Brahmajyoti, Yogiji Marg, Mogri village, District Anand, Gujarat.", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 26.62 crore as capital cost and Rs. 3 crore as corpus fund for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Pragnan Tirth – Sarvangi Shikshan Sansthan", which is being carried out by "Anoopam Mission, Brahmajyoti, Yogiji Marg, Mogri village, District Anand, Gujarat.", without any change in the approved cost of Rs. 26.62 crore as

capital cost and Rs. 3 crore as corpus fund for a further period of three years commencing with financial year 2015-16 i.e 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 135/2015 / F.No.V. 27015/1/2015-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

का. आ.1482(अ).- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 05.07.2006 की अधिसूचना सं. का.आ.998(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''नेशनल एसोसिएशन फार दी ब्लाइंड, सेक्टर-5, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110022'' द्वारा ''वृद्ध दृष्टिहीनों के लिए गृह का निर्माण'' की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2006-07 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 11 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में दिनांक 03.10.2008 की अधिसूचना सं. का. आ. 2392 (अ) द्वारा और बढ़ा दिया गया और जिसे बाद में दिनांक 23.02.2011 की शुद्धिपत्र सं. सां. आ. 424(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया और जिसे बाद में दिनांक 14.05.2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 1078 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक तक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत में परिवर्तन होने की संभावना है अर्थात भवन निधि में 3.00 करोड़ रूपए से 7.00 करोड़ रुपए तक की वृद्धि ओर कार्पस निधि में 10.00 करोड़ रूपए से 6.00 करोड़ रूपए तक की कटौती की गई है। इस प्रकार परियोजना लागत वही अर्थात 13.00 करोड़ रूपए रहेगी।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना या स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए भवन निधि में 3.00 करोड़ रूपए से 7.00 करोड़ रुपए तक की वृद्धि ओर कार्पस निधि में 10.00 करोड़ रूपए से 6.00 करोड़ रूपए तक की कटौती करने की सिफारिश की है, इस प्रकार परियोजना लागत वही अर्थात 13.00 करोड़ रूपए रहेगी ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा (क) '' नेशनल एसोसिएशन फार दी ब्लाइंड सेक्टर-5, आर. के. पुरम, नई दिल्ली – 110022'' द्वारा चलाई जा रही ''वृद्ध दृष्टिहीनों के लिए गृह का निर्माण'' की स्कीम या परियोजना को वित्तीय वर्ष 2015-16 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए और बढ़ाने को अधिसूचित करती है और;

(ख) दिनांक 5 जुलाई,2006 की उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 998(अ) को निम्नलिखित आशय के लिए और संशोधित करती है, नामत:-

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. (11), कालम (4) के सामने सारणी में, ''अवसंरचना और अन्धता के निवारण के लिए 3.00 करोड़ रुपए और कार्पस निधि के लिए 10.00 करोड़ रुपए'' अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए ''अवसंरचना और अन्धता के निवारण के लिए 7.00 करोड़ रुपए और कार्पस निधि के लिए 6.00 करोड़ रुपए'' अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।'

[सं. 136/2015/फा. सं. वी -27015/1/2015 एस ओ(रा. स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2015

S.O. 1482(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.998(E) dated the 5th July, 2006, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 11, "Construction of a home for the aged blind" by "National Association for the Blind, Sector-5, R.K. Puram, New Delhi – 110022", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2006-2007; which was extended further vide notification number S.O. 2392 (E) dated 3rd October, 2008 and a corrigendum S.O. No. 424 (E) dated 23rd February, 2011 for a period of three years beginning with the financial year 2009-10 and which was further extended vide S.O. No. 1078 (E) dated 14.5.2012 for a further period of three years commencing with financial year 2012-13;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the project cost is likely to change i.e. enhancement in the Building fund from Rs. 3.00 crore to Rs. 7.00 crore and reduction in the Corpus fund from Rs. 10.00 crore to Rs. 6.00 crore. As such the project cost will remain the same i.e. Rs. 13.00 crore

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and amends the project cost i.e. enhancement in the Building fund from Rs. 3.00 crore to Rs. 7.00 crore and reduction in the Corpus fund from Rs. 10.00 crore to Rs. 6.00 crore. As such the project cost will remain the same i.e. Rs. 13.00 crore;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies (a) the scheme or project "Construction of a home for the aged blind" being carried out by "National Association for the Blind, Sector-5, R.K. Puram, New Delhi – 110022", for a further period of three years commencing with financial year 2015-16, i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18 and

(b) further amends the said notification number S.O. 998(E) dated the 5th July, 2006, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 11, in column (4) maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC of Income Tax Act, 1961, for the letters, figures and word "Rs.3.00 crore for infrastructure and prevention of blindness and Rs.10.00 crore for corpus fund", the letters, figures and word "Rs.7.00 crore for infrastructure and prevention of blindness and Rs.6.00 crore for corpus fund," shall be substituted.

[No. 136/2015 / F.No.V. 27015/1/2015-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

का. आ.1483(अ).- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 14.03.1996 की अधिसूचना सं. का. आ. 193(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "अंध कल्याण केंद्र (कल्याण केंद्र के पीछे), 20, नवरूप कालोनी, शांति नगर, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380013, गुजरात" द्वारा "गांव रानिप, जिला अहमदाबाद, गुजरात में अंध कल्याण केंद्र के निर्माण, उपस्कर, साज-समान और चलाने" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1997-98 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 15 पर अधिसूचित किया था ; जिसे दिनांक 11 मई, 1999 की अधिसूचना सं. का. आ. 316(अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2000-2001 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे दिनांक 24 अक्तूबर, 2002 की अधिसूचना सं. का. आ. 1111(अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2003-2004 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे दिनांक 5 जुलाई, 2006 की अधिसूचना सं. का. आ 1000(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 को प्रारंभ होने वाली दो वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे दिनांक 21 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं. का. आ 235(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया था और जिसे दिनांक 14.05.2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 1077(अ) द्वारा विस्तारित वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाले तीन और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था ।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के सत्रह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "अंध कल्याण केंद्र (कल्याण केंद्र के पीछे), 20, नवरूप कालोनी, शांति नगर, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380013, गुजरात" द्वारा चलाई जा रही "गांव रानिप, जिला अहमदाबाद, गुजरात में अंध कल्याण केंद्र के निर्माण, उपस्कर, साज-समान और चलाने" की परियोजना अथवा स्कीम को 105.97 लाख रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है और निदेश देती है कि चूँकि वित्तीय वर्ष 2014-15 समाप्त हो चुका है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए धारा 35 क ग के तहत कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

[सं.137/2015/फा. सं. वी -27015/1/2015 एस ओ(रा. स.)]

मक्खन लाल मीना,उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2015

S.O. 1483 (E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.193(E) dated the 14th March, 1996, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 15, "Construction, equipments, furnishing and running of Andh Kalyan Kendra at Village Ranip, District Ahmedabad, Gujarat" by "Andh Kalyan Kendra, (Behind Welfare Centre), 20, Navroop Colony, Shanti Nagar, Ashram Road, Ahmedabad – 380013, Gujarat" , as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997-1998, which was extended further vide notification number S.O.316(E) dated the 11th May, 1999 for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001, which was extended further vide notification number S.O.1111(E) dated the 24th October, 2002 for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004, which was extended further vide notification number S.O.1000(E) dated the 5th July, 2006 for a period of two years beginning with financial year 2006-2007, which was extended further vide notification number S.O. 235(E) dated 21st January, 2009 for a period of three years beginning with the financial year 2008-09 and which was further vide S.O. No.1077 (E) dated 14.05.2012 for three more years ending with extended financial year 2013-14.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond seventeen years;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Construction, equipments, furnishing and running of Andh Kalyan Kendra at Village Ranip, District Ahmedabad" which is being carried out by "Andh Kalyan Kendra, (Behind Welfare Centre), 20, Navroop Colony, Shanti Nagar, Ashram Road, Ahmedabad – 380013", without any change in the approved cost of Rs.105.97 lakh, for a further period of three years beginning with financial year 2014-15 i.e. 2014-15, 2015-16 & 2016-17, with a direction that as the financial year 2014-15 has lapsed, no certificate under section 35 AC shall be issued for financial year 2014-15.

[No. 137/2015 / F.No.V. 27015/1/2015-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

का. आ.1484(अ).- जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 04.10.2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 2366 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने "शंकर फाउंडेशन, 19-50, श्री साईं माधव नगर, नायडू थोटा, वेपागुंटा, विशाखापत्तनम - 530047' द्वारा 'नेत्र

अस्पताल परियोजनाओं का संचालन, उपकरणों की खरीद एवं भवन के रख-रखाव' की परियोजना को, 3770.60 लाख रुपये की अनुमानित लागत से, वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 13 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, "शंकर फाउंडेशन, 19-50, श्री साईं माधव नगर, नायडू थोटा, वेपागुंटा, विशाखापत्तनम - 530047' द्वारा चलाई जा रही 'नेत्र अस्पताल परियोजनाओं का संचालन, उपकरणों की खरीद एवं भवन के रख-रखाव' की परियोजना को, 3770.60 लाख रुपये की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं.138/2015/ फा. सं. वी.27015/1/2015-एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2015

S.O.1484 (E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2366(E) dated 4.10.2012 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 13, "Running of Eye Hospital Projects, purchase of Equipment and Building Maintenance etc." by "Sankar Foundtion,19-50, Sri Sai Madhava Nagar, Naidu Thota, Vepagunta, Visakhapatnam-530047", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 3770.60 lakh for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Running of Eye Hospital Projects, purchase of Equipment and Building Maintenance etc.", which is being carried out by "Sankar Foundtion,19-50, Sri Sai Madhava Nagar, Naidu Thota, Vepagunta, Visakhapatnam-530047", without any change in the approved cost of Rs. 3770.60 lakh, for a further period of three years commencing with financial year 2015-16 i.e 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 138/2015 / F.No.V. 27015/1/2015-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

का. आ.1485(अ).- जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 27.11.2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 1365 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने 'प्रणब कन्या संघ, पोस्ट आफिस हृदायुर, कोलकाता-700127, पश्चिम बंगाल' द्वारा 'भवन निर्माण, फर्नीचर, पुस्तकों, सिलाई की मशीन, आदि की खरीद तथा परियोजना के संचालन' की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 8 पर अधिसूचित किया था; जिसे आगे दिनांक 16.07.2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 1166 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों

की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे आगे दिनांक 25.03.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 849 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-2010 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे आगे दिनांक 16.03.2012 की अधिसूचना सं. का.आ.467 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-2013 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 16.03.2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 467 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 10.00 लाख रुपये की एक कापर्स निधि सहित 143.33 लाख रुपये से बढ़ाकर 60.00 लाख रुपये की कापर्स निधि सहित 3.85 करोड़ रुपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के बारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, 'प्रणब कन्या संघ, पोस्ट आफिस हृदायुर, कोलकाता-700127, पश्चिम बंगाल' द्वारा चलाई जा रही 'भवन निर्माण, फर्नीचर, पुस्तकों, सिलाई की मशीन, आदि की खरीद तथा परियोजना के संचालन' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं.139/2015/ फा. सं. वी.27015/1/2015-एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2015

S.O. 1485(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1365(E) dated the 27th November, 2003, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 8, "Construction building, purchase of furniture, Books, sewing machine etc. and running of the porject" by "Pranab Kanya Sangha, P.O. HRIDAYUR, Kolkata – 700127, West Bengal", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005, which was extended further vide notification number S.O.1166(E) dated the 16th July, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2006-07, which was extended further vide notification number S.O. 849(E) dated the 25th March, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was further extended vide S.O. 467(E) dated 16.3.2012 for three financial year beginning with financial year 2012-13;

And whereas by notification number S.O. 467(E) dated 16.3.2012 the estimated cost was enhanced from Rs. 143.33 lakhs including a corpus fund of Rs. 10.00 lakhs to Rs. 3.85 crore including a corpus fund of Rs. 60.00 lakh.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twelve years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Construction building, purchase of furniture, Books, sewing machine etc. and running of the porject" which is being carried out by "Pranab Kanya Sangha, P.O. HRIDAYUR, Kolkata – 700127, West Bengal", as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with financial year 2015-16, i.e, financial year 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 139/2015 / F.No.V. 27015/1/2015-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

का. आ.1486(अ).- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 07.5.2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 1030(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''श्री केशव ट्रस्ट, #504, 40वां क्रॉस, जयानगर, आठवां ब्लॉक, बेंगलुरु-560070'' ''आँख की विभिन्न दशाओं के स्वस्थाने उपचार के प्रयोग के माध्यम से व्यापक आँख देखभाल'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 4.95 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 1 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना या स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने के लिए सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा ''श्री केशव ट्रस्ट,#504, 40वां क्रॉस, जयानगर, आठवां ब्लॉक, बेंगलुरु-560070'' द्वारा चलाई जा रही ''आँख की विभिन्न दशाओं के स्वस्थाने उपचार के प्रयोग के माध्यम से व्यापक आँख देखभाल'' की परियोजना अथवा स्कीम को 4.95 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 140/2015/फा. सं. वी -27015/1/2015 एस ओ(रा. स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2015

S.O.1486 (E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1030(E) dated 7.5.2012 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 1, "Taking Comprehensive Eye Care Using In situ treatment for various eye conditions " by "Sri Keshava Trust, #504, 40th Cross, Jayanagar, 8th Block, Bangalore – 560 070", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 4.95 Crore for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Taking Comprehensive Eye Care Using In situ treatment for various eye conditions", which is being carried out by "Sri Keshava Trust, #504, 40th Cross, Jayanagar, 8th Block, Bangalore – 560 070", without any change in the approved cost of Rs. 4.95 Crore, for a further period of three years commencing with financial year 2015-16 i.e 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 140/2015 / F.No.V. 27015/1/2015-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

का. आ.1487(अ).- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 दिसंबर, 1997 की अधिसूचना सं. का. आ. 862(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "नारायण सेवा संस्था, "सेवा दाम" 483, हिरन मग्री, सेक्टर-4, उदयपुर, राजस्थान – 313002" द्वारा "हिरन मग्री, सेक्टर-4, उदयपुर, राजस्थान में पोलियो अस्पताल, पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र" को चलाने की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1998-99 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 2 पर अधिसूचित किया था, और जिसे बाद में दिनांक 26.05.2000 की अधिसूचना सं. का. आ. 508(अ) के तहत निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया ; जिसे बाद में दिनांक 05.07.2004 की अधिसूचना सं. का. आ. 785(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2003-04 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 05.07.2006 की अधिसूचना सं. का. आ. 1013(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; और जिसे बाद में दिनांक 25.03.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 840(अ) वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 27.12.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 2895(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि दिनांक 05.07.2004 की अधिसूचना सं. सां. आ. 785(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 2.00 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 2.91 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.00 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 10.00 करोड़ रुपए कर दिया गया था ; दिनांक 15.02.2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 249(अ) द्वारा परियोजना लागत को 2.00 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 10.00 करोड़ रुपए से 2.00 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 34,23,86,748.00 करोड़ रुपए तक और आगे बढ़ा दिया गया था; दिनांक 25.03.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 840(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 2 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 34.23 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 64.28 करोड़ रुपए तक और बढ़ाया गया था और दिनांक 06.01.2015 की अधिसूचना सं. का. आ. 91(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 2 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 64.28 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 104.40 करोड़ रुपए तक और बढ़ाया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के अठारह वर्षों से अधिक तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा (क) "नारायण सेवा संस्था, "सेवा दाम" 483, हिरन मग्री, सेक्टर-4, उदयपुर, राजस्थान–313002" द्वारा चलाई जा रही "हिरन मग्री, सेक्टर-4, उदयपुर, राजस्थान में पोलियो अस्पताल, पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र" की परियोजना अथवा स्कीम को 2 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 104.40 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए और एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है और;

[सं. 146/2015/फा. सं. वी -27015/1/2015 एस ओ(रा. स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2015

S.O.1487 (E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.862(E) dated the 12th December, 1997, issuedunder sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 3SAC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 2, "Running of Polio Hospital, Rehabilitation and Research Centre at Hiran Magri, Sector-4, Udaipur, Rajasthan" by "Narayan Seva Sanstha, "Seva Dham", 483, Hiran Magri, Sector-4, Udaipur, Rajasthan - 313002", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999; which was extended further vide notification number S.O.S08(E) dated the 26th May, 2000 for a period of three years beginning with

assessment year 2001-2002; which was extended further vide notification number S.O.78S(E) dated the Sth July, 2004 for a period of three years beginning with financial year 2003-2004; which was extended further vide notification number S.O.1 013(E) dated the s" July, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007; which was extended further vide notification number S.O. 840(E) dated 2Sth March, 2009 for a period of three year beginning with financial year 2009-10 and which was further extended vide notification number S.O. 289S(E) dated 27.12.2011 for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas by notification number S.O.78S(E) dated the s" July, 2004 the estimated cost was enhanced from Rs. 2.91 crore plus a corpus fund of Rs.2.00 crore to Rs.1 0.00 crore plus a corpus fund of Rs.2.00 crore; vide notification number S.O.249(E) dated the 15th February, 2007 the estimated cost was further enhanced from Rs.10.00 crore plus a corpus fund of Rs.2.00 crore to Rs.34,23,86,748.00 including a corpus fund of Rs.2.00 crore; vide notification number S.O. 840(E) dated 25th March, 2009 the estimated cost was further enhanced from Rs. 34.23 crore including a corpus fund of Rs. 2 crore to Rs. 64.28 crore including a corpus fund of Rs. 2 crore crore and vide notification number S.O. 91 (E) dated 6th January, 2015 the project cost was further enhance from Rs.64.28 crore including a corpus fund of Rs. 2 crore' to 'Rs.1 04.40 crore including a corpus fund of Rs.2 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 18 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11 M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Running of Polio Hospital, Rehabilitation and Research Centre at Hiran Magri, Sector-4, Udaipur, Rajasthan" which is being carried out by "Narayan Seva Sanstha, "Seva Dham", 483, Hiran Magri, Sector-4, Udaipur, Rajasthan - 313002", without any change in the approved cost ofRs.l 04.40 crore including a corpus fund of Rs.2 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2015-16 i.e 2015-16,2016-17 & 2017-18.

[No. 146/2015 / F.No.V. 27015/1/2015-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

का. आ.1488(अ).- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 28 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना सं. का. आ. 1237(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने अक्षयपात्र फाउंडेशन, हरे कृष्ण हिल्स, चोर्ट रोड का पश्चिम, राजाजी नगर, बेंगलुरु-560010 द्वारा "मध्याहन भोजन कार्यक्रम" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2005-06 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 3 पर अधिसूचित किया था; जिसे दिनांक 05 जुलाई, 2006 की अधिसूचना से का. आ.1008 (अ.) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे दिनांक 25 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 856 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-2010 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे दिनांक 16 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 481 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि 05 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या सं. का. आ. 1008 (अ) द्वारा परियोजना लागत को 2263.75 लाख रुपये से बढ़ाकर 100.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था, दिनांक 25 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 856 (अ) द्वारा परियोजना लागत को 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया गया था और दिनांक 16.03.2012 की अधिसूचना सं.का.आ. 481 (अ) द्वारा अनुमोदित लागत को दोबारा 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के बारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत के 400 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 900.00 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए और परियोजना लागत को 400 करोड़ रुपये से 900.00 करोड़ रूपये तक बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा (क) अक्षयपात्र फाउंडेशन, हरे कृष्ण हिल्स, चोर्ट रोड का पश्चिम, राजाजी नगर, बेंगलुरु-560010 द्वारा चलाई जा रही ''मध्याहन भोजन कार्यक्रम'' की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ; और

(ख) दिनांक 28 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना सं. का. आ. 1237 (अ) को निम्नलिखित आशय के साथ संशोधित करती है कि नामत:

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्या 3, कॉलम (4) पर, धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि के संबंध में ''400.00 करोड़ रुपये,'' से संबंधित अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर '' 900.00 करोड़ रुपये से संबंधित अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं.163/2015/फा. सं. वी -27015/1/2015 एस ओ(रा. स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2015

S.O. 1488 (E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1237(E) dated the 28th October, 2003, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 3, "Mid Day Meal Program run by the Akshayapatra Foundation, Hare Krishna Hills, West of Chort Road, Rajajinagar, Bangalore – 560010", as an eligible project or scheme for a period of three years ending with assessment year 2005-2006, which was extended further vide notification number S.O.1008(E) dated the 5th July, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007, which was extended further vide notification number S.O.856(E) dated 25th March, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O.481(E) dated 16th March, 2012 for a period of three years beginning with financial year 2012-13;

And whereas by notification number S.O.1008(E) dated the 5th July, 2006 the estimated cost was enhanced from Rs. 2263.75 lakh to Rs.100.00 crore, vide notification number S.O. 856(E) dated 25th March, 2009 the estimated cost was enhanced from 100 crore to 200 crore and the project cost was again enhanced from Rs. 200 crore from to Rs. 400 crore vide S.O. no. 481(E) dated 16.3.2012.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twelve years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs. 400 crore to Rs. 900.00 crore;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and amending the project cost from Rs.400.00 crore to Rs.900.00 crore;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),- (a) hereby notifies the scheme or project "Mid Day Meal Program run by the Akshayapatra Foundation", which is being carried out by "Akshayapatra Foundation, Hare Krishna Hills, West of Chort Road, Rajajinagar, Bangalore – 560010", for a further period of three years commencing with the financial year 2015-16 i.e 2015-16, 2016-17 & 2017-18 and;

(b)further amends the said notification number S.O. 1237(E) dated the 28th October, 2003, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 3, in column (4) relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and word "Rs. 400.00 crore", the letters, figures and word "Rs.900.00 crore" shall be substituted.

[No. 163/2015 / F.No.V. 27015/1/2015-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.